झारखण्ड सरकार
कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़
मत्स्य कृषक पुरस्कार

एतद् द्वारा रामगढ़ जिला के मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों, मत्स्य बीज उत्पादकों, आर0 एफ0 एफ0 समूहों, केज पालकों एवं हैचरी संचालकों को सूचित किया जाता है कि उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विभागीय राज्यादेश सं0 12, दिनांक 23.09.2020 के आलोक में पुरस्कार / सम्मान देने का कार्यक्रम वर्ष 2020–21 में निर्धारित किया गया है।

पुरस्कार स्वरूप / सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 30,000 / रू0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रूप में प्रचार – प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल अथवा मोपेड के साथ आईस बॉक्स / डीप फ्रीजर के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इच्छुक एवं सुयोग्य आवेदकों से दिनांक 15.10.2020 तक विहित प्रपत्र में जिला मत्स्य कार्यालय, रामगढ़ में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन प्रपत्र कार्यालय में निः शुल्क उपलब्ध है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
रामगढ़

PR 233560(Fish)20-21*D

PR 233553 Home, Prison And Disaster Management (20-21)_D उपकारा रामगढ़

झारखण्ड सरकार
कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़
मत्स्य विपणन योजना अन्तर्गत आवेदन आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा रामगढ़ जिला के मत्स्य विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 14, दिनांक 28.09.2020 के आलोक में मत्स्य विपणन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में हाइजेनिक कन्डिशन में मछलियों के विपणन हेतु उपकरण एवं परिवहन ईकाइ के रूप में अनुदान पर ऑटो रिक्शा, ई – रिक्शा, स्टॉल इत्यादि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।
विवरण निम्नांकित है –

क्र0	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	अनुदान	अभ्युक्ति
	मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क (लगभग 3–4 टन क्षमता के पिकअप वैंन के उपर फैब्रिकेटेड)	1	60 प्रतिशत	अधिकतम मूल्य 10 लाख रू0
1	मछली परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा (लगभग 1 टन क्षमता)	1	60 प्रतिशत (अधिकतम 1.80 लाख रू0)	सामान्य वर्ग हेतु
2	मछली परिवहन हेतु ई – रिक्शा (लगभग 400 –500 कि0 ग्रा0 क्षमता)	1	80 प्रतिशत (अधिकतम 1.60 लाख रू0)	अनुसूचित जाति हेतु
3	मत्स्य विपणन स्टॉल / ठेला	2	90 से 95 प्रतिशत	मूल्य 40,000 रू0
4	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को उपकरण	3	95 प्रतिशत	मूल्य 5,000 रू0

शर्तें –
- विपणन हेतु अनुदान पर दिये जाने वाले वाहनों के निबंधन एवं बीमा का व्यय भार लाभुक को स्वंय वहन करना होगा।
- जिन्हें ऑटो रिक्शा / ई – रिक्शा अनुदान पर दिया जाएगा, उन्हें स्टॉल एवं अन्य उपकरणों के क्रय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
- शहरी क्षेत्र के (प्रखण्ड स्तर तक) मत्स्य विक्रेताओं को उनके आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु स्टॉल दिया जाएगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / दिव्यांग कोटि के लाभुक का अंशदान 5 प्रतिशत तथा अन्य कोटि के लाभुकों का 10 प्रतिशत होगा।
- मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य को प्राथमिक्ता दी जायगी।
- दिव्यांग आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा।
- आवेदक मत्स्य विपणन कार्य हेतु विशेश रूप से प्रशिक्षित हो।
- महिला समूह के सदस्य अथवा महिला समूह के आवेदको को प्रथामिक्ता दी जायगी।

उपर्युक्त विवरण एवं शर्तो के अधीन इच्छुक सुयोग्य मछली विक्रेताओं से विहित प्रपत्र में दिनांक 15.10.2020 तक जिला मत्स्य कार्यालय, रामगढ़ में आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन का प्रपत्र कार्यालय में निः शुल्क उपलब्ध है।

PR 233562 Fish(20-21)D

जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़

झारखण्ड सरकार
कार्यालय :जिला मत्स्य पदाधिकारी,रामगढ़

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं अगामी वित्तीय वर्श 2021–22 हेतु रामगढ़ जिला के मत्स्यकृषकों एवं अन्य से आवेदन प्राप्त किये गये हैं। प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा कर सैद्धान्तिक रूप से जिला स्तरीय समिति के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का चयन किया गया है।

मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1269, दिनांक 24.09.2020 के आलोक में इस योजना के आवेदकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रत्येक परियोजना के इकाई लागत में लाभुक का अंशदान निर्धारित है। फलस्वरूप प्रत्येक आवेदक को यह सुनिश्चित करना है कि वे अपना अंश लगाने में आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

उक्त आशय के सहमति एवं सत्यापन हेतु सभी आवेदकों से अनुरोध है कि दिनांक 10.10.2020 तक जिला मत्स्य कार्यालय, रामगढ़ में उपस्थित होवें। निर्धारित तिथि तक सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह समझा जाएगा की वे अपना अंशदान लगाने हेतु इच्छुक / सक्षम नहीं हैं एवं उनके अन्तिम चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
रामगढ़

PR 233547 (Fish)20-21#D